

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 35/2021

1. गजराज सिंह पुत्र कान्ह सिंह जाति राजपूत निवासी रेनगढ़ तहसील मांगरोल
2. रमेश कंवर पत्नी गजराज सिंह जाति राजपूत निवासी रेनगढ़ तहसील मांगरोल

.....वादीगण

♣ बनाम ♣

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज०)

....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर०टी०एक्ट०

पीठासीन अधिकारी : श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

वकील वादी : श्री महेन्द्र सिंह हाडा

दायरा दिनांक: 23.02.2021

निर्णय दिनांक : 21.10.2021

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खाता संख्या 83 खसरा नं० 185 रकबा 0.03 है०, खसरा नं० 187 रकबा 0.36 है०, खसरा नं० 189/362 रकबा 0.36 है० कुल किता 3 कुल रकबा 0.75 है० वाके ग्राम रेनगढ़ तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमें वादनी का नाम रमेश कंवर पत्नी गजराज सिंह के स्थान पर रमेशीबाई पत्नी गजेन्द्रसिंह दर्ज हो रहा है। जबकि वादनी और वादनी के पति का वास्तविक नाम रमेश कंवर पत्नी गजराज सिंह है। जिसको वादनी रमेशीबाई पत्नी गजेन्द्रसिंह के स्थान पर रमेश कंवर पत्नी गजराज सिंह दुरुस्त करवाने की कानूनी अधिकारी है। वादनी का नाम अन्य दस्तावेज मतदाता पहचान-पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड आदि में रमेश कंवर पत्नी गजराज सिंह दर्ज हो रहा है। इसलिए अपना नाम राजस्व रेकार्ड में रमेशीबाई पत्नी गजेन्द्रसिंह के स्थान पर रमेश कंवर पत्नी गजराज सिंह दर्ज करवाने की घोषणा करवाने की अधिकारी है। अतः उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादनी का नाम रमेशीबाई पत्नी गजेन्द्रसिंह के स्थान रमेश कंवर पत्नी गजराज सिंह दुरुस्त किया जाकर प्रतिवादी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 23.02.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक:- राजस्व/2021/211 दिनांक 19.04.2021 के जिसके अनुसार रमेशीबाई पत्नी गजेन्द्रसिंह जाति राजपूत को रमेश कंवर पत्नी गजराज सिंह जाति राजपूत के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। उपस्थित व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि उक्त दोनो नाम एक ही महिला के है अन्य अलग-अलग नहीं है। दोनो नाम से उक्त महिला रमेशीबाई पत्नी गजेन्द्रसिंह जाति राजपूत व रमेश कंवर

उप खण्ड अधिकारी  
मांगरोल जिला बारां (राज०)

नी गजराज सिंह जाति राजपूत एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः राजस्व रेकार्ड में उक्त का नाम रमेशीबाई पत्नी गजेन्द्रसिंह जाति राजपूत के स्थान पर रमेश कंवर पत्नी गजराज सिंह जाति राजपूत सा 10 देह दर्ज किया जाना उचित है।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो तथा बयान गवाहान वादीगण स्वयं व सरोराज सिंह पुत्र कान्हसिंह जाति राजपूत निवासी रेनगढ़ के आधार पर आराजी खाता संख्या 83 खसरा नं० 185 रकबा 0.03 है०, खसरा नं० 187 रकबा 0.36, है०, खसरा नं० 189/362 रकबा 0.36 है० कुल किता 3 कुल रकबा 0.75 है० वाके ग्राम रेनगढ़ तहसील मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादनी का नाम रमेशीबाई पत्नी गजेन्द्रसिंह जाति राजपूत के स्थान पर रमेश कंवर पत्नी गजराज सिंह जाति राजपूत दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है, एवं इसके साथ-साथ यदि वादनी के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय जैरकार हो उसके लिए वादनी स्वयं जिम्मेवार होगा। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2021 को प्रशासन गावों के संग अभियान-2021 कोर्ट केम्प महलपुर मजमेंआम में सुनोया गया।

अशोक सिंह  
मंगरीपखवा अतिथी (जो)  
मांगरोल